उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या–02/2022

लालजी गोविन्द राय बनाम् अनुप कुमार एवं झारखण्ड राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
16.12-2022	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी लालजी गोविन्द राय, पिता–स्व० मुत्यंजय नाथ राय, निवास ग्राम–बनखेता, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर सी०आर०आर० वाद संख्या–02/2019–20 लालजी गोविन्द राय बनाम् अनुप कुमार में दिनांक–11.10.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S –16 of Mutation Law के तहत रिविजन दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–बनखेता के खाता सं०–21, प्लॉट नं०–1147, रकवा–0.13 ए० भूमि से संबंधित है। अपीलार्थी के अधिवक्ता के द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि टंकणीय भूल के कारण यह वाद दाखिल खारिज रिवीजन दायर किया गया जबकी विविध अपील दायर करना था उन्होनें इस वाद को विविध अपील के रूप में सुनवाई करने का अनुरोध किये है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा–बनखेता थाना नं०–95, खाता सं०–21, प्लॉट न०–1147 रकवा–0.55 ए० भूमि सर्वे खतियान में बकास्त लगान पाने वाला दर्ज है। अपीलार्थी का कहना है कि ग्राम–बनखेता, के खाता सं०–21 की भूमि सर्वे सेटलमेंट के दौरान खेवट संख्या–2/4 बकस्त खाता दर्ज है। जिसमें खेवटदार बैजनाथ सिंह थे। बैजनाथ सिंह के पुत्रों के द्वारा 1932 में उक्त भूमि कमलनाथ राय को बिक्री कर दिया गया। कमलनाथ राय के मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र लाल मृत्युंजय नाथ राय भूमि पर काबिज हुए एवं उनके मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र लाल जय गोविन्द राय उक्त भूमि पर दखलकार हुए तत्पश्चात् अपीलार्थी के द्वारा उक्त भूमि में लगान निर्धारण आवेदन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को दिया जिसे वाद संख्या–06/99–2000 में दिनांक–28.06.2000 से लगान	

निर्धारण का आवेदन स्वीकृत हुआ, एवं रसीद निर्गत हुआ। उनके द्वारा कहा गया है कि द्वितीय पक्ष की जमाबंदी अवैध रुप से कायम की गई है उसे निरस्त किया जाय। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि ग्राम–बनखेता, के खाता सं०–21 बकास्त खाते कि भूमि है जिसमें लगान पाने वाले वैजनाथ सिंह है खाता संख्या–21 प्लॉट न०–1147 रकवा–0.55 ए० भूमि है। अपीलार्थी के दादा कमलनाथ राय, क्रेता जुड़न सिंह से उचित मुल्य लेकर सादा विक्रय पत्र के द्वारा 1939 में खाता संख्या–21 प्लॉट न०–1147 रकवा–0.13 ए० भूमि बिक्री कर दिये। जुड़न सिंह के पुत्र कंचन सिंह ने उक्त भूमि निबंधित केवाला 1971 में लिलावती देवी को बिक्री कर दिये। लिलावती देवी के द्वारा निबंधित केवाला संख्या–2686 दिनांक–29.08.1985 से उक्त भूमि विपक्षी अनुप कुमार को बिक्री कर दिये। जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–1375/85–86 से दाखिल खारिज स्वीकृत कर पंजी–II के पेज संख्या–159/I पर जमाबंदी कायम किया गया। उनका कहना है कि अपीलार्थी द्वारा कुल–0.55 ए० भूमि प्राप्त है तो 0.42 ए० भूमि का ही लगान निर्धारण इसलिए कराया गया है कि 0.13 ए० भूमि पर मेरा दखल कब्जा है। उनका यह भी कहना है कि लम्बे समय से चल रही जमाबंदी संक्षिप्त कार्यवाही से रद्द नहीं की जा सकती है। उन्होनें अपील आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान कहा गया है कि मामला स्वत्व से संबंधित है जिसका निराकारण सक्षम न्यायालय में ही संभव है। इसलिए उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा पारित आदेश से सहमत होने की बात कही गई है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों को अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा–बनखेता, खाता सं०–21, प्लॉट नं०–1147 कुल रकवा–0.55 ए० भूमि सर्वे खतियान बकस्त लगान पाने वाला दर्ज है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ के प्रतिवेदन के अनुसार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के लगान निर्धारण वाद संख्या–06/99–2000 के आदेशानुसार अपीलार्थी की जमाबंदी पंजी–II के पेज नं०–155/2 पर कायम है। जिसका रकवा–0.55 ए० मध्ये–0.42 ए० इन्द्राज है। उक्त भूमि का शेष रकवा–0.13 ए० (प्रश्नगत भूमि) कंचन सिंह, पिता–जुड़न सिंह से केवाला संख्या–8119, दिनांक–08.12.1971 के द्वारा श्रीमती लीलावती देवी, पति–श्री कौलेश्वर सिंह बनखेता को प्राप्त है। तत्पश्चात श्रीमती लीलावती देवी केवाला संख्या–2686, दिनांक–29.08.1985 के द्वारा श्री अनुप कुमार, पिता–डॉ० रामसत्य कुमार सा०–रामगढ़ को बिक्री किया गया जिसकी जमाबंदी पंजी–II के पेज संख्या–159/I पर श्री अनुप कुमार पिता–डॉ० रामसत्य कुमार के नाम खाता सं०–21, प्लॉट नं०–1147, रकवा–0.13 ए० दर्ज है। लगान रसीद 2015–16 तक निर्गत है। अंचल अधिकारी,

रामगढ़ ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि भूमि पर चाहर दिवारी निर्माण श्री अनुप कुमार के द्वारा किया गया है। वर्त्तमान में भूमि परती है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा मौजा–बनखेता के खाता सं०–21, प्लॉट नं०–1147, रकवा–0.55 ए० भूमि का दावा किया जा रहा है। जबकी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा 0.42 ए० का ही लगान निर्धारण किया गया है। विपक्षी के द्वारा उक्त भूमि का शेष रकवा–0.13 ए० भूमि पर केवाला से प्राप्त करने का दावा किया जा रहा है। अर्थात दोनों पक्ष एक ही भूमि पर दावा करते है। मामला स्वत्व का प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा सी०आर०आर० वाद संख्या–02/2019–20 लालजी गोविन्द राय बनाम् अनुप कुमार में दिनांक–11.10.2021 को पारित को यथावत् रखते हुए रिविजन आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
16.12.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
16.12.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.01.27 13:22:44 +05:30
Location: 192.168.0.248